प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक एवं निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0/आई0जी0आई0सी0, पटना के साथ दिनांक–09.01.2019 को 11:00 बजे (पूर्वाह्न) सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

बैठक की उपस्थिति :– सूची संलग्न।

नववर्ष की शुभ कामनाओं के साथ बैठक कार्रवाई प्रारम्भ हुई। बैठक में सर्वप्रथम गत् समीक्षात्मक बैठक दिनांक–08.08.2018 की कार्यवाही द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निम्नांकित निर्णय/निदेश दिये गये–

(i) **निविदा के तकनीकी मूल्यांकन हेतु विभागवार पैनल तैयार करना :–**

इसके लिए PMCH, NMCH, IGIMS, AIIMS, Patna एवं IGIC, पटना के विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल तैयार कर BMSICL, पटना को उपलब्ध कराया जाना है।

PMCH, पटना द्वारा सूची उपलब्ध करा दिये जाने की सूचना दी गयी। अन्य संस्थानों को एक सप्ताह में सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके लिए संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष नामित किया जा सकता है। नामित पदाधिकारी को बैठक में स्वयं भाग लेना होगा एवं वे अपने स्थान पर किसी अन्य को नामित नहीं कर सकते हैं।

BMSICL, पटना द्वारा निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के बिन्दु पर orientation course करायेगी।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना एवं संबंधित संस्थान)

(ii) **संविदागत चिकित्सकों से कार्य लेने के संबंध में :–**

संविदागत सभी चिकित्सकों से नियमित चिकित्सकों की भाँति ओ0पी0डी0, कक्षाओं आदि से संबंधित सामान्य कार्य लिए जायेंगे।

(अनुपालनः– सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार)

(iii) **केन्द्रीयकृत लॉन्ड्री एवं केन्द्रीयकृत sterilization की स्थापना :–**

1. Sterilization के उपकरणों की कार्य क्षमता का audit report चार सप्ताह में उपलब्ध कराने का निदेश CARE को दिया गया।
2. केन्द्रीयकृत लॉन्ड्री के लिए प्रस्ताव एवं प्राक्कलन 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– CARE एवं BMSICL, पटना)

(iv) **PMSSY फेज–IV– पी0एम0सी0एच0 एवं पटना विश्वविद्यालय के मध्य भूमि हस्तांतरण का मामला :–**

प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को निदेश दिया गया कि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं पटना विश्वविद्यालय, पटना से सम्पर्क कर हस्तान्तरण की प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करायी जाय।

(अनुपालनः–प्राचार्य/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना)

(v) **"अमृत योजना" का क्रियान्वयन :–**

राज्य के चार चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के लिए 17 जनवरी, 2019 को केन्द्रीय प्रतिनिधि के साथ MoU हस्ताक्षरित होने की सूचना दी गयी।

(अनुपालनः–राज्य औषधि नियंत्रक)

(vi) **आई बैंक की स्थापना :–**

आई बैंक की स्थापना की दिशा में विभिन्न संस्थानों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। BMSICL, पटना द्वारा सूचित किया गया कि NMCH को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों के लिए भवन तैयार हो गया है एवं पाँच लाख से अधिक लागत वाली मशीनों की आपूर्ति सभी संस्थानों को की जा चुकी है।

निगम द्वारा यह भी सूचित किया गया कि DMCH, SKMCH एवं बेतिया द्वारा भवनों का प्रभार नहीं लिया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा संबंधित अधीक्षकों को अविलम्ब भवनों का प्रभार प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

समीक्षोपरान्त सभी संस्थानों को आई बैंक की स्थापना के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति अविलम्ब प्राप्त करने का निदेश दिया गया। पी०एम०सी०एच०, पटना द्वारा सूचित किया गया कि उनके यहाँ आई बैंक स्थापित हो चुका है एवं कार्निया प्रत्यारोपण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

DMCH, SKMCH, Bhagal, Gaya को आई बैंक के उद्घाटन की तिथि 26 जनवरी, 2019 रखने का लक्ष्य दिया गया। इसके पूर्व अनुज्ञप्ति विधिवत निर्गत कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– BMSICL, पटना एवं
सभी संबंधित संस्थान, बिहार)

(vii) **सी०टी० स्कैन एवं एम०आर०आई० की स्थापना :–**

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सी०टी० स्कैन एवं एम०आर०आई० की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। निगम द्वारा सूचित किया गया कि पावापुरी एवं गया में एम०आर०आई० मशीन के लिए पुनर्निविदा की गई है।

बेतिया में सी०टी० स्कैन मशीन के लिए अधीक्षक द्वारा अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया गया है। यहाँ बिजली की व्यवस्था भी नहीं हो पायी है एवं पहुँच पथ की भी कमी है।

प्रधान सचिव द्वारा सभी कमियों का निराकरण आपस में समन्वय स्थापित करते हुए करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना,
संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार)

(viii) **VC facility between medical colleges and live telecast of OT in LT :–**

निगम द्वारा सूचित किया गया कि इसके लिए रु0 14.60 करोड़ की लागत पर मॉडल प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। इसपर SRU का कुछ परामर्श है जिससे समाहित किया जा रहा है।

निगम द्वारा सभी संस्थानों को उपलब्ध तीन—चार OT में से एक OT को इस निमित्त चिह्नित करते उससे संबंधित विवरणी के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(अनुपालनः—BMSICL, पटना एवं संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार)

(ix) **चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 सीटों की अभिवृद्धि :—**

सभी संस्थानों को वांछित Gap Analysis Report तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया, ताकि उसके आधार पर विभाग द्वारा कमियों को दूर किया जा सके। इसमें संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने का परामर्श दिया गया। प्राचार्यों द्वारा Gap Analysis Report तैयार कर लेने के पश्चात् संयुक्त सचिव द्वारा सभी संस्थानों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जायेगी।

(अनुपालनः—प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार)

(x) **विभागाध्यक्षों द्वारा क्रय समिति में भाग नहीं लेना एवं चक्रानुक्रम में (By Rotation) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति :—**

चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान के क्रय समिति में बहुधा विभागाध्यक्ष स्वयं भाग नहीं लेते एवं उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेज दिया जाता है। प्रधान सचिव द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया एवं निदेश दिया गया कि संस्थान के क्रय समिति में संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष का स्वयं भाग लेना mandatory होगा। ये इसे प्रत्यायोजित नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त प्रधान सचिव द्वारा दो वर्ष के चक्रानुक्रम में (By Rotation) चिकित्सा महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—सभी प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से सभी संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रशाखा—17)

(xi) **GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन :—**

सभी संस्थानों को GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का का निदेश दिया गया। आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सभी संस्थानों के संबंधित कर्मियों को रजिस्ट्रेशन, क्रय आदि के प्रशिक्षण हेतु निदेशित किया गया। उन्हें सभी संस्थानों के रिजस्ट्रेशन का कार्य तीन दिनों में सम्पन्न करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—सभी प्राचार्य/अधीक्षक एवं आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना)

(xii) **चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रक्त अधिकोष की अनुज्ञप्ति :—**

सभी संस्थानों में रक्त अधिकोष की स्थापना के क्रम में उत्पन्न पृच्छाओं के निराकरण हेतु राज्य औषधि नियंत्रण को संबंधित संस्थानों का सहयोग करने का निदेश दिया गया। राज्य औषधि नियंत्रक, संस्थानों एवं भारत सरकर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनुज्ञप्ति का कार्य शीघ्र सम्पन्न करना चाहेंगे।

(अनुपालनः—राज्य औषधि नियंत्रण एवं संबंधित संस्थान)

(xiii) चिकित्सा महाविद्यालयों में ग्रुप–3 एवं 4 के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति :–

अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया तथा वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा द्वारा ग्रुप–3 एवं 4 के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति किये जाने की सूचना दी गयी।

अन्य संस्थानों द्वारा रोस्टर गठन का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजे जाने की सूचना दी गयी। प्रधान सचिव द्वारा इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार)

(xiv) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स–रे मशीन की कमीः–

समीक्षा के क्रम में BMSICL, पटना द्वारा बतलाया गया कि अल्ट्रासाउण्ड का rate contract कर लिया गया है। एक्स–रे मशीन का प्रदर्शन होने वाला है। 15 सितम्बर तक इसके लिए भी rate contract कर लिया जायेगा। बैठक में प्रधान सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को जिन specification के एक्स–रे मशीन की आवश्यकता हो उसी specification के एक्स–रे मशीन का क्रय किया जाय।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना)

(xv) आयुष्मान भारत के अन्तर्गत बाह्य स्रोत से पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराने की अनुमति का अवधि विस्तार :–

निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना द्वारा अवगत कराया गया कि आयुष्मान भारत के अन्तर्गत बाह्य स्रोत से जाँच कराने की तीन माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है। प्रधान सचिव द्वारा इसे अगले तीन माह के लिए विस्तारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार)

(xvi) निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना द्वारा डा० कुणाल कृष्ण के संविदा अवधि समाप्त होने की जानकारी देते हुए इसे विस्तारित करने का अनुरोध किया गया। प्रधान सचिव द्वारा निदेशक को संविदा अवधि विस्तारित करते हुए उसकी सम्पुष्टि विभाग से करा लेने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–IGIC, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः—1/विविध—14/2018—109(1) /स्वा0, पटना, दिनांक— 21/01/2019

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा—1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/1/2019
प्रधान सचिव